दिवानी प्रकरण 102/2020

23/07/22

पत्रावली लिया। वादी अभिभाषक एवं प्रतिवादी अभिभाषक सायक के अभिभाषक के विरुद्ध [illegible] का पेश किया। वाद वादी वकील के [illegible] वकील वादी के अभिभाषक [illegible] नहीं बताया है। अतः अभिभाषक के [illegible] निरस्तगी हेतु वाद वादी के अभिभाषक [illegible] वादी पक्ष [illegible] समझौता। पक्षकार [illegible] आपसी समझौता [illegible] नोटरी [illegible] पत्रावली [illegible] आदेश वादी वकील [illegible] पेश करेंगे [illegible] दि. 13/8/22 को [illegible]

13/08/2022 पत्रावली [illegible] नाजुलाल [illegible] वकील द्वारा पत्र [illegible] समझौता के आधार निपटारा किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण वाद वादी [illegible] समझौता हो जाना है निपटारा [illegible] अलग के लिखा जाकर शामिल फाईल किया गया डिक्री पारी। पत्रावली फैसल शुमार योग्य रजिस्टर के नम्बर है। दाखिल दफ्तर हो। निपटारा दि. 13/8/22 अति श्रावणी को राष्ट्रीय लोक अदालत तरीके से बैंच द्वारा सुनाया गया।

अति
शारदा

अध्यक्ष लोक अदालत बैंच
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

सदस्य
लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

[illegible] वाद वादी [illegible] समझौता डिक्री किया जाता है। समझौता निपटारा का भाग रहेगा। निपटारा दि. 13/8/22 को राष्ट्रीय लोक अदालत तरीके से बैंच द्वारा सुनाया गया।

13/8/22

अध्यक्ष लोक अदालत बैंच
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर
13/08/22

सदस्य
लोक अदालत बैंच
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर